न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कम–1,जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार गुप्ता–II (आर.जे.एस.)

अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र सं. : 316/26

पोरव कालेर पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–37 साल, निवासी रामपुर, पुलिस थाना छापर, जिला चुरू। हाल बी6, 185 सुदर्शना नगर, नागणेची माता के मन्दिर के पीछे, पुलिस थाना व्यास कॉलोनी, जिला बीकानेर (राज.)। –प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक। ....अप्रार्थी

अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्र.सू.रि.सं. 66/24 पुलिस थाना एस.ओ.जी., जयपुर धारा 420, 467, 468, 471, 201, 120बी भा.द.सं. व धारा 3, 4, 6, 2(च)(ाा)/10(2) राज. सार्व. परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधि. 2022

उपस्थित :–

1. श्री विपुल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर।
2– श्री भॅवर सिंह चौहान व श्री सुरेन्द्र सिंह खिड़ीया, विशिष्ट लोक अभियोजक – राज. राज्य।

–:: **आदेश** ::– **दिनांक : 18–06–2026**

1 इस आदेश के जरिये प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर द्वारा उसके पिता का निधन होने पर 12 दिवस की अन्तरिम जमानत चाहने आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण किया जा रहा है।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्यो के अनुसार राजस्व अधिकारी ग्रेड–ाा और अधिशाषी अधिकारी वर्ग–4 (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 के सम्बन्ध में परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों ब्लूटूथ के प्रयोग करने की शिकायत प्राप्त प्र.सू.रि.सं. 66/24 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. व धारा 3, 4, 6 व 10 राज. सार्व. परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधि. 2022 में दर्ज कर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया और प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

3 बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी के पिता ओम प्रकाश कालेर का दिनांक 17–06–26 को निधन हो गया है और वह सबसे बड़े बेटा है और उसके पिता का अंतिम संस्कार दिनांक 19–06–26 को प्रातः 7 बजे किया जाएगा। इसलिये दाह संस्कार व अंतिम क्रियाओं के लिये प्रार्थी को 12 दिन की अन्तरिम जमानत दी जाए।

4 विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक लोक अभियोजक ने 12 दिन की अन्तरिम जमानत आवेदन का विरोध किया।

5 प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 7 प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं।

6 प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर के विरूद्ध, अपने चाचा अभियुक्त तुलछाराम कालेर के साथ मिलकर संगठित नकल गिरोह बनाकर ईओ/आरओ भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा पूर्व प्राप्त कर ईओ/आरओ भर्ती परीक्षा 2022 में अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कराने का धारा 420, 467, 468, 471, 201, 120बी भा.द.सं. व धारा 3, 4, 6, 2(च)(ii)/10(2) राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अपराध का अभियोग है।

7 प्रार्थी की ओर से अपने पिता का निधन होने के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 17–6–26 को ओमप्रकाश कालेर की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी की ओर से यह जाहिर किया गया कि दिनांक 19–06–26 को प्रातः 7 बजे उसके पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से ओमप्रकाश कालेर की मृत्यु होना जाहिर होता है और प्रार्थी ने स्वयं को उनका बड़ा पुत्र बताया है, लेकिन प्रार्थी को 12 दिवस की अन्तरिम जमानत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता और प्रार्थी को पुलिस अभिरक्षा में अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आ दे श

8 निष्कर्षतः प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर पुत्र श्री ओमप्रकाश की ओर से द.प्र.सं. की धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 द.प्र.सं.) के अंतर्गत 12 दिन की अन्तरिम जमानत चाहने हेतु प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, लेकिन प्रार्थी को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है और जेल अधीक्षक, जिला कारागार, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि प्रार्थी के पिता ओमप्रकाश कालेर के दिनांक 19–6–26 को होने वाले अंतिम संस्कार के लिये प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर को जेल मेनुअल के अनुसार पूर्ण सुरक्षा में चूरू ले जाया जाकर बाद अंतिम संस्कार वापस जेल में दाखिला कराया जाना सुनिश्चित करें।

9 आदेश की प्रति पालनार्थ जेल अधीक्षक, जिला कारागार, जयपुर को जरिये ई–मेल प्रेषित हो।

(**विनोद कुमार गुप्ता–II**)
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर, द्वितीय

10 आदेश आज दिनांक 18–06–2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(**विनोद कुमार गुप्ता–II**)
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर द्वितीय